(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi
(Law, Justice and Legislative Affairs Department)
8th Level, 'C' Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110 002

No.F.14(12)/LA-2003/ 909 to 918 Dated: the 30-4-, 2003

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor, Delhi on 28.4.2003 and is hereby published for general information.

The Delhi Prisons (Amendment) Act, 2003 (Delhi Act No.3 of 2003) (as passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 31st March, 2003)

An Act to amend the Delhi Prisons Act, 2000 (Delhi Act 2 of 2002).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement. – (1) This Act may be called the Delhi Prisons (Amendment) Act, 2003.

It shall come into force on such date as the Lt. Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 14. – In the Delhi Prisons Act, 2000 (Delhi Act 2 of 2002), in section 14-

(i) at the end of sub-section (1), the following shall be inserted, namely:-

"This report, with the orders of the Superintendent thereon, shall forthwith be sent to the Inspector General for information.";

(ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The Medical Officer shall not administer any such medicine to any prisoner without informing him of what is being administered to him:

Provided that the Medical Officer may administer any such medicine to any prisoner without informing him of what is being administered, in emergent situations, where the prisoner-patient is unconscious or in a state in which he is not a fit to receive and respond to such information".

(Reena Singh Nag)
Joint Secretary (Law & Justice)

(दिल्ली राजपत्र भाग –4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग,
8वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली – 110002

सं.फा. 14 (12)/विधायी कार्य – 2003/909 to 912 दिनांक 30-6-2003

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 28.4.2003 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है ।

दिल्ली कारागार (संशोधन) अधिनियम, 2003(दिल्ली अधिनियम संख्या : 3 वर्ष, 2003)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 31 मार्च, 2003 को यथा पारित)

दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 (2002 का दिल्ली अधिनियम 2) के संशोधन हेतु एक अधिनियम

इसे भारतीय गणतंत्र के चौउनवें वर्ष के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा : –

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ –

(1) यह अधिनियम, दिल्ली कारागार संशोधन अधिनियम, 2003 कहलाएगा ।
(2) यह उपराज्यपाल द्वारा सरकारी राजपत्र में नियुक्त अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा ।

2. धारा 14 का संशोधन – दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000(2002 का दिल्ली अधिनियम 2) धारा 14 में –

(i) उपधारा 1 के अन्त में निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात :–
" यह रिपोर्ट, जिसमें अधीक्षक के आदेश हैं महानिरीक्षक को शीघ्र सूचनार्थ भेजी जा जाएगी";

(ii) उपधारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात :–

"(2) चिकित्सा अधिकारी किसी भी कैदी को ऐसी कोई दवाई नहीं देगा जो कि कैदी की जानकारी में न हो –

उपबन्ध है कि चिकित्सा अधिकारी केवल आपात स्थितियों में ही किसी कैदी को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना दवाई दे सकता है जहां मरीज कैदी अचेतावस्था में हो या ऐसी स्थिति में हो कि वे ऐसी सूचना प्राप्त करने तथा उत्तर देने के उपयुक्त न हो।"

रीना सिंह नाग

(रीना सिंह नाग)
संयुक्त सचिव विधि एवं न्याय